P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-4* ISSUE-6*February-2017
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

उत्तराखण्ड राज्य में उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक का योगदान

मुकेश चन्द्र उपाध्याय
शोध छात्र,
वाणिज्य विभाग,
एल0एस0एम0रा0स्ना0महा0,
पिथौरागढ,उत्तराखण्ड

सारांश

प्राचीन समय में जब ग्रामीण क्षेत्रों में वित की आवश्यकता होती थी तो वे लोग गाँवों में रहने वाले साहूकारों, महाजनों से ऋण लेते थे और जिसके लिए उन्हें अधिक मात्रा में ब्याज देना पड़ता था। इस प्रकार किसानों का शोषण भी होता था। इस शोषण को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत स्रोतों पर जोर दिया गया। जिसमें प्रमुख रूप से सहकारी समितियाँ एवं वाणिज्यिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आते है। जिनके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में उचित दर पर ऋण एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

भारत में सहकारी ऋण संस्थानों के द्वारा चार स्तरों पर कृषि ऋण दिए जा रहे है। प्राथमिक स्तर कृषि सम्बन्धी समितियाँ तथा भूमि विकास बैंक जो कृषक उधारकर्ताओं से सीधे लेन–देन करते है, इसके अलावा राज्य सहकारी बैंक और केन्द्रीय सहकारी बैंक जो केवल अप्रत्यक्ष ऋण उपलबध कराते है लेनिक स्वतन्त्रता से पहले और इसके बाद भी ये संस्थाए कृषि ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने उतनी सफल नहीं रही है।

वाणिज्यिक बैंकों की ग्रामीण बैंकिग में भागीदारी तब शुरू हुई जब 1955 मे इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया को भारतीय स्टेट बैंक के रूप में राष्ट्रीकृत कर दिया गया। भारतीय स्टेट बैंक ने 1956 में सहकारी बैंको, भूमि बन्धक बैंकों और सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि क्षेत्र के लिए ऋण देना शुरू कर दिया। इसके बाद वर्ष 1969 में 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीकरण कर दिया गया। वाणिज्यिक बैंकों ने बड़े पैमाने में ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखाएं खोली। जिससे इन बैंकों की शाखाओं का उल्लेखनीय विस्तार हुआ। परन्तु ये बैंक ग्रामीण किसानों को ऋण देने में असफल रहें। उन्होंने धनी किसानों की बचतों को जुटा कर सहकारी समितियों को कमजोर किया तथा धन का इस्तेमाल शहरी क्षेत्रों में किया इन्होंने अनुभव किया ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करना मंहगा है तथा दूसरी तरफ शहरी स्टाफ ग्रामीण वित की आवश्यकताओं और समस्याओं को समझने में असमर्थ था।

बैकिंग आयोग नं 1972 में प्रकाशित रिपोर्ट में पाया कि भारत जैसे विशाल देश में कोई एक प्रकार की वित्तीय संस्था ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ थी, इसीलिए आयोग ने एक बहुविधि कार्यक्रम की सिफारिश की जिसमें सहकारी ऋण समितियों, वाणिज्यिक बैंको, भारतीय स्टेट बैंक और प्रायोजित ग्रामीण बैंकों को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने थी। परन्तु भारत सरकार ने 1975 तक देश में ग्रामीण बैंकों की श्रृंखला शुरू करने की बैकिंग आयोग की सिफारिश पर कोई विचार नहीं किया लेकिन जुलाई 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों को स्थापित करने का विचार आया ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की आवश्यकता को पूरा किया जा सकें।

26 सितम्बर, 1975 को घोषित एक अध्यादेश के अन्तर्गत 2 अक्टूबर 1975 को पहले पॉच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए और 1976 के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम ने इसका स्थान ले लिया। इस प्रकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भारत के लगभग सभी राज्यों में कार्य कर रहे है, उत्तराखण्ड राज्य में यह बैंक उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक के नाम से ग्रामीण क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

मुख्य शब्द : ग्रामीण बैंक, राष्ट्रीकरण, स्वतन्त्रता

प्रस्तावना

उत्तराखण्ड की पृष्ठ भूमि

हिमालय की गोद में बसा छोटा सा पर्वतीय राज्य उत्तराखण्ड नवम्बर 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर अस्तित्व में आया। यह खूबसूरत भूमि गंगा नदी जैसी परित्रतम नदियों ओर चार धाम जैसे पवित्र तीर्थस्थल होने के कारण देवभूमि के रूप में जानी जाती है।

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-4* ISSUE-6*February-2017
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

प्राचीन काल से उत्तराखण्ड की मनमोहक भूमि वेदों और पुराणों में वर्णित है। ऐसी मान्यता है कि प्रलय के उपरांत जब ब्रहमाजी ने पुनः सृष्टि की रचना की तो सर्वप्रथम इस भाग की रचना की। वर्तमान समय में उत्तराखण्ड को स्कन्द पुराण में केदार खण्ड के नाम से भी जाना जाता है।

उत्तराखण्ड की सुन्दरता ने लोगों को सम्मोहित किया है और इसके असाधारण परिदृश्य में बहुत लोगों की रचनात्मकता फली–फूली है। जहॉ महात्मा गांधी ने कौसानी की सुन्दर वादियों में अनाशक्ति योग की रचना की। पश्चिमी देशों में लोकप्रिय बीटल्स बैण्ड ने ऋषिकेश में गंगा नदी के तट पर अपने गीत लिखे, रविन्द्र नाथ टैगोर की रचनायें रामगढ़ की मादक खूबसूरती से प्रेरित थी तो महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध कहानी लच्छमा भी रामगढ़ से ही प्रेरित हुई।

रोमांच प्रेमी प्रकृति वन्य जीव उत्सुक पक्षियों में रुचि रखने वाले पर्वतारोही, आध्यात्मिक खोजी ईश्वर भक्त सभी के लिए उत्तराखण्ड के पास कुछ न कुछ अवश्य है।

बर्फ से ढकी चोटियां, सैकड़ों, झीले छोटी बड़ी नदियां घने वन वनस्पति की हजारों किस्में, रंगीन पहाड़ी संस्कृति ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि प्रकृति ने स्वयं इस हिमालय की स्वर्गभूमि को बड़ी फुरसत और प्रेम से श्रृंगार किया हो।

उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक संक्षिप्त परिचय

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के अन्तर्गत 1 नवम्बर 2012 को भारत सरकार गजट नोटिफिकेशन के आदेशानुसार उत्तराखण्ड राज्य में देश के प्रमुख वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक एवं बैंक आफ बड़ौदा द्वारा प्रायोजित नैनीताल अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के समामेलन के पश्चात उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक परिचालन में आया। इस बैंक का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य के 13 जिलों में विस्तारित है।

बैंक का प्रधान कार्यालय देहरादून में है जो कि उत्तराखण्ड राज्य की राजधानी हैं। बैंक का कार्यक्षेत्र जो सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में फैला हुआ है। विरल जनसंख्या घनत्व वाला भूभाग है तथा यह क्षेत्र विभिन्न धार्मिक स्थलों एवं मनोहारी पर्यटन स्थलों के लिए विख्यात है।

जल संसाधनों का आधिक्य होने पर भी इस क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाओं का अभाव है तथा किसानों को कृषि के पारम्परिक साधनों का प्रयोग करने को बाध्य होना पड़ता है। बासमती चावल, गेहूँ, सोयाबीन, मूँगफली, मोटा अनाज दाले तथा तिलहन प्रमुख रूप से यहॉ पैदा किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य उद्योग मुख्यतः पर्यटन एवं जल विद्युत है।

उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक

उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक राज्य के दूरस्थ भाग में विशम भौगोलिक परिस्थितियों में स्थानीय लोगों को बैकिंग सेवायें प्रदान कर क्षेत्र विशेष की प्रगति में अपना योगदान प्रदान कर रहा है। सेवा के इस अभियान के साथ बैकिंग व्यवसाय के बैंक निरन्तर प्रगति की ओर अग्रसर है। उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक, पूर्ववर्ती नैनीताल, अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक व उत्तरांचल ग्रामीण बैंक के विलय के पश्चात दिनांक 01.11.12 को अस्तित्व में आया।

उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक में प्रायोजक बैंक भारतीय स्टेट बैंक, भारत सरकार एवं राज्य सरकार की क्रमशः 50, 35 एवं 15 प्रतिशत पूंजी लगी है। इस प्रकार यह पूर्णतः सरकारी बैंक है। उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित है। इस प्रकार यह Scheduled Commercial Bank है।

उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक, उत्तराखण्ड राज्य के सभी तेरह जिलों में अपनी 286 शाखाओं के साथ राज्य के द्वितीय सबसे बड़े बैकिंग नेटवर्क के माध्यम से सर्वोत्तम बैकिंग सेवाएं देने के लिये कटिबद्ध है। उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक उत्तराखण्ड राज्य के दूरस्थ एवं पिछड़े हुये क्षेत्रों के साथ–साथ अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के विकास, समाजोत्थान के साथ आय भी अर्जित कर रहा है जो कि विलक्षण एवं सराहनीय है।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में विषम परिस्थितियों के उपरांत 6.90 करोड़ का कर पूर्व शुद्ध लाभ अर्जित किया है। कुल व्यवसाय 15.36 प्रतिशत वृद्धि के साथ 4895.89 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया है। इसी वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य के सर्वांगीण विकास में सहायक अनेक परियोजनाओं में 790. 35 करोड़ के ऋण वितरित किये गये, जिसमें 77.15 प्रतिशत ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में वितरित किये गये।

उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में राज्य के सभी बैंको को पीछे छोड़ते हुए सर्वाधिक ऋण जमा अनुपात 55.99 प्रतिशत अर्जित किया गया।

इसी वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य में गैर बैकिंग क्षेत्रों में कुल 26 नई शाखाएं खोली गई तथा भविष्य में भी गैर बैकिंग क्षेत्रों के अन्तर्गत शाखाओं का विस्तार किया जायेगा। भारत सरकार की बैकों द्वारा संचालित प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना में उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है।

नित नई तकनीक अपना कर इस बैंक द्वारा NEFT/ RTGS, ESCS /EFT /INTERNET BANKING /ATM/ SMS ALERT/ E-Tax जैसी सुविधाऍ प्रदान की जा रही है तथा भविष्य में भी उत्कृष्ट तकनीक अपनाकर ग्राहकों की सेवा हेतु यह बैंक कटिबद्ध है।

राज्य में ग्रामीण स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने हेतु ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से स्वरोजगारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

जून 2013 में दैवीय आपदा ने उत्तराखण्ड में सामान्य जनजीवन को प्रभावित किया है जिसका प्रभाव वसूली प्रक्रिया पर भी पढ़ रहा है।

वित्तीय वर्ष 2013–14 में राज्य सरकार द्वारा ऋण की किस्त तथा ब्याज के भुगतान में एक वर्ष हेतु शिथिलता प्रदान किये जाने पर वित्तीय वर्ष 2014–15 के प्रारम्भ में एन पी ए असाधारण वृद्धि लक्षित की गयी जिसके लिए दिसम्बर माह से प्रभावी रणनीति बताते हुए

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-4* ISSUE-6*February-2017
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

वसूली प्रक्रिया में तेजी लायी गयी तथा एन पी ए में प्रभावी कटौती की गयी।

संगठनात्मक ढांचा

उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक का संगठनात्मक ढांचा 3 प्रशासनिक स्तरों में विभाजित है। इसके आधार पर शाखा प्रबन्धकों द्वारा संचालित शाखा कार्यालय है जो क्षेत्रीय प्रबन्धकों द्वारा संचालित क्षेत्रीय कार्यालयों के अन्तर्गत कार्यरत है। इन सभी का सर्वोच्च नियन्त्रण प्रधान कार्यालय से होता है। वर्तमान में बैंक में 4 क्षेत्रीय कार्यालय क्रमशः क्षेत्रीय कार्यालय तृतीय पिथौरागढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय चतुर्थ हल्द्वानी है। इनके अन्तर्गत क्रमशः 86 शाखायें व 4 अनुशंगी कार्यालय 62 शाखायें व 07 अनुवंशी कार्यालय 38 शाखायें तथा 100 शाखायें व 2 विस्तार पटल कार्यरत है।

शाखा विस्तार

बैंक का परिचालन क्षेत्र उत्तराखण्ड के समस्त, 13 जिलों को सम्मिलित करते हुए 286 शाखाओं का प्रभावी तंत्र है। निरन्तर करोबार वृद्धि के लिए सुदृढ़ रणनीति के तहत बैंक ने परिचालन क्षेत्र में ग्राहक आधार में वृद्धि हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 बैंक अपने 4 क्षेत्रीय कार्यालयों 286 शाखाओं 11 अनुशंगी कार्यालयों 02 विस्तार पटलों के माध्यम से अपने ग्राहकों को नवीन बैकिंग सुविधायें उपलब्ध करा रहा है। शाखाओं का जनपद वार विवरण निम्न प्रकार है।

तालिका –शाखाओं का जिलेवार विवरण

क्र0सं0	जनपद	क्षेत्रीय कार्यालय	शहरी शाखायें	अर्धशहरी शाखायें	ग्रामीण शाखायें	आनुषंगी कार्यालय	विस्तार पटेल	कुल
1	देहरादून	देहरादून	9	8	27	1		45
2	टिहरी	देहरादून		1	19	3		23
3	उत्तरकाशी	देहरादून		1	6			7
4	हरिद्वार	देहरादून	2	8	5			15
5	पौड़ी	पौड़ी		5	36	4		45
6	चमोली	पौड़ी		2	11	2		15
7	रूद्रप्रयाग	पौड़ी			8	1		9
8	पिथौरागढ़	पिथौरागढ़		4	26			30
9	चम्पावत	पिथौरागढ़		1	7			8
10	नैनीताल	हल्द्वानी	3	3	31		1	38
11	अल्मोड़ा	हल्द्वानी		4	25			29
12	बागेश्वर	हल्द्वानी		1	13			14
13	उधमसिंहनगर	हल्द्वानी		5	15		1	21
	योग		14	43	229	11	2	299

उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक का कार्यक्षेत्र ग्रामीण होने के कारण इसकी सबसे अधिक 229 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में है और 43 शाखायें अर्द्धशहरी तथा 14 शहरी क्षेत्र की शाखाएं है। वर्ष 2014–15 में बैंक द्वारा वित्तीय समावेशन के तहत 26 नई शाखायें खोली गई है जो उत्तराखण्ड के विभिन्न जनपदों में सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रही है। वर्ष 2015–16 के दौरान कोई भी नई शाखा नहीं खोली गयी है।

ग्रामीण बैंक के उद्देश्य

1. ग्रामीण जनता विशेषकर छोटे और सीमान्त किसानों, कृषि, मजदूरों, हस्तकारों और छोटे उद्यमियों जो कृषि, व्यापार वाणिज्य उद्योग और उत्पादक गतिविधियों में लगे है को ऋण और अग्रिम प्रदान करना।
2. ग्रामीण जनता विशेषकर उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां अब तक बैंक नहीं है उनके घरों तक बैकिंग सेवाएं ले जाना।
3. सहकारी समितियों विपणन समितियों, कृषि सबन्धी परिष्करण समितियों, सहकारी समितियों, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को साख सुविधा प्रदान करना।
4. जमा राशि स्वीकार करके ग्रामीण बचत को जुटाना तथा इस राशि को ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक कार्यो के लिए उपयोग में लाना।
5. गांवों की सभ्यता को स्थिर बनाए रखकर ग्रामीण सभ्यता एवं संस्कृति को अक्षुण्ण रखकर ग्रामीण विकास करना भी ग्रामीण बैंक का एक प्रमुख उद्देश्य है।
6. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करना।
7. ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराने की लागत को कम करना।
8. बैंक का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बचत की प्रवृत्ति में वृद्धि करके उनके विकास में सहयोग देना है। इस उद्देश्य की पूर्ति इस बात पर निर्भर है कि ग्रामीण बैकों ने जनता का कितना विश्वास अर्जित किया है।
9. सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना।
10. ग्राहकों की सुविधा अनुसार नई सुविधाओं को प्रदान करना।

उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक की विभिन्न योजनाएं सुविधाएं

किसान क्रेडिट कार्ड

बैंक ने अपने उपलब्ध साधनों का उपयोग करते हुए किसान क्रेडिट कार्ड वितरण करने हेतु समग्र प्रयास

किए है। वर्ष 2014–15 के दौरान 7750 किसानों को 847064 हजार की ऋण सीमायें स्वीकृत की गई है तथा वर्ष 2015–16 के दौरान 5517 नये किसानों को 6521.21 लाख की ऋण सीमायें स्वीकृत की गई हैं। बैंक ने अब तक कुल 62963.44 लाख की ऋण सीमा के 98087 किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए है तथा उनको व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना का लाभ भी दिया जा रहा है।

स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना

स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना के अन्तर्गत छोटे दस्तकारों हथकरघा, बुनकरों, स्वरोजगारियों तथा अन्य सूक्ष्म उद्यमियों को किफायती ढंग से पर्याप्त और समय से ऋण सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2014–15 में 103 स्वरोजगारियों को 4780 हजार तथा 2015–16 में 101 स्वरोजगारियों को 47.55 लाख की ऋण सीमायें वितरित की गयी है।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2014–15 में 143 लाभार्थियों को जनरल परपज क्रेडिट कार्ड के अन्तर्गत 3491 हजार ऋण तथा वर्ष 2015–16 में 49 लाभार्थियों को 11.66 लाख ऋण वितरण किया गया है।

नवीन सरलीकृत ऋण सह अनुदान ग्रामीण आवास योजना

नवीन सरलीकृत ऋण सह अनुदान आवास योजना वर्ष 2005 से लागू है। इस योजना के अन्तर्गत 32000 रू0 तक वाले वार्षिक आय वाले आवास विहीन परिवारों को आवास हेतु 40000 रू0 ऋण एवं 10000 रू0 अनुदान दिया जाता है वर्ष 2014–15 में 410 परिवारों तथा 2015–16 में 458 परिवारों को ऋण स्वीकृत किये है।

पैन कार्ड

बैंक में ग्राहकों हेतु आयकर विभाग से पैनकार्ड जारी करने हेतु आवेदन पत्र भी स्वीकार किये जाते है। इस हेतु यू टी आई टैक्नोलॉजी सर्विसेज प्रा0लि0 से सहमति ज्ञापन निष्पादित किया गया है।

वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर

इस बैंक द्वारा अपनी कुछ शाखाओं से वेस्टर्न यूनियन मनी की सुविधा भी अपने ग्राहकों को प्रदान की जा रही है।

वित्तीय समावेशन

बैंक द्वारा वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया गया है। वर्ष 2014–15 में 327 व्यवसाय प्रतिनिधियों तथा वर्ष 2015–16 में 124 व्यवसाय प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया गया है। आई0सी0टी0 आधारित सोल्यूशन हेतु तकनीकी बैकिंग सुविधा दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे बैकिंग सेवा से वंचित व्यक्तियों को प्रदान की जा रही है।

बैक द्वारा लैपटाप आधारित माइक्रो ए टी एम सुविधा प्रदान की जा रही है तथा प्रधान कार्यालय परिसर में एफ आई सर्वर को स्थापित कर इन खातों में सफलता पूर्वक ऑन लाइन लेन देन किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु समस्त शाखाओं द्वारा गांवों तथा वार्ड में शिविर लगा कर समस्त परिवारों का सर्वे किया गया तथ सुनिश्चित किया गया कि प्रत्येक परिवार के एक सदस्य का बैंक में खाता हो।

1. प्रधानमंत्री जन धन योजना के अन्तर्गत मार्च 2015 तक 168284 तथा मार्च 2016 तक 213884 खाते खोले गये है जिसमें कुल जमा क्रमशः 159091 तथा 1793010 हजार है।
2. डी बी टी के अन्तर्गत आधार से 51450 खाते लिंक किये जा चुके है एवं बचत खाते से 100312 खाते लिंक किये गये है।
3. 51450 खातों में Aathar seeting की जा चुकी है।
4. बचत खातों में 5000 की ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रारम्भ की जा चुकी है।

वित्तीय जागरूकता

उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक द्वारा वर्ष 2015–16 में 101 वित्तीय साक्षरता कैम्प आयोजित किये गये तथा वित्तीय समावेशन के अन्तर्गत वित्तीय जागरूकता सचल वाहन द्वारा सामान्य जन को विविध बैकिंग सुविधायें प्रदान की जा रही है। वित्तीय जागरूकता सचल वाहन में ए टी एम भी लगाया गया है जिसका प्रयोग उन क्षेत्रों में किया जा रहा है जहॉ ए टी एम की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

तकनीकी उन्नयन

बैंक द्वारा तकनीकी कौशल में उपस्थिति दर्ज कराते हुये एन ई एफ टी, एस एम एलर्ट एवं इंटनेट बैकिंग सुविधायें सभी ग्राहकों हेतु प्रारम्भ की गई है।

1. POS में डेविड कार्ड SWIPC करने हेतु सुविधा प्रदान की गयी है।
2. Mobile banking /IMPS सुविधा बैंक में चरणबद्ध रीति से लागू कर ली गई है।
3. KIOSK MICRO ATM सेवा लागू किये जाने हेतु अन्तिम चरण की Testing/UAI प्रगति पर है।
4. AEPS एवं E-Kyc ds implementation हेतु सम्बन्धित हमदबपमे से प्रक्रिया की कार्यवाही अन्तिम चरण में है।
5. HRMS Module हेतु प्रक्रिया की जा चुकी है।
6. मार्च 2015 तक 213268 रूपे कार्डजारी किये जा चुके है।
7. PMJDY के अन्तर्गत अलग से PMJDY डेबिड कार्ड जारी किये गये है।

स्वयं सहायता समूह

उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक द्वारा स्वयं सहायता समूहों हेतु सघन प्रयास किये जा रहे है। योजना के प्रारम्भ से अब तक कुल 22696 समूह गठित किये जा चुके है तथा इन समूहों में से 10504 समूहों को 8335.62 लाख की ऋण सीमायें स्वीकृत कर बैंक से सम्बद्ध किया गया है। वर्ष 2015–16 के दौरान 1101 समूहों को 729.50 लाख रूपये की ऋण सीमाएं स्वीकृत की गई है। जिसमें से 28 समूहों हेतु NRLM के अन्तर्गत तथा को छोड़कर 820 अन्य समूहों को बैंक से सम्बद्ध किया गया है।

ब्याज दरें

बैंक द्वारा जमाओं के लिए अन्य बैंकों की तुलना में आकर्षक ब्याज दरे प्रभावी की गई है। जिसके अन्तर्गत वरिष्ठ नागरिकों हेतु एवं Bulk Deposit हेतु विशेष ब्याज

दरें प्रभावी की गई है। इसी क्रम में विभिन्न श्रेणी के ऋणों हेतु प्रतिस्पर्धात्मक ब्याज दरें लागू की गई है।

गैर पूंजीगत व्यवसाय

अपनी शाखाओं पर ग्राहकों के चैक/बिलों का संग्रहण एवं ड्राफ्टों का निर्गम द्वारा प्रायोजक बैंक की सम्बद्ध शाखाओं के माध्यम से करवाया जाता है तथा इससे गैर ब्याज आय अर्जित की जाती है इसके अतिरिक्त प्रायोजक बैंक के मल्टी सिटी चैकों के माध्यम से ग्राहकों के लिये भारत में कही भी धन हस्तान्तरण की सुविधा ग्रामीण पे आर्डर तथा NEFT के माध्यम से भी लागू की गयी है।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू है तथा पात्र फसलों हेतु बीमा आवरण प्रदान किया जा रहा है।

जिलावारऋण वितरण 2015–16

क्र0 सं0	जिले का नाम	लक्ष्य	प्राप्ति	प्राप्ति
1	देहरादून	932496	1242622	133.26
2	उत्तरकाशी	255000	213055	83.55
3	टिहरी	572300	414896	72.50
4	हरिद्वार	226400	278156	122.86
	योग	1986196	2148729	108.18
5	पौड़ी	1048200	902760	86.12
6	चमोली	522500	214551	41.06
7	रूद्रप्रयाग	263700	195694	74.21
	योग	1834400	1313005	71.57
8	पिथौरागढ़	813800	950234	116.77
9	चम्पावत	249700	329131	131.81
	योग	1063500	1279365	120.29
10	अल्मोड़ा	695500	531688	76.45
11	बागेश्वर	396400	246775	62.25
12	नैनीताल	1859600	1507924	81.09
13	ऊधम सिंह नगर	3547500	1284784	36.22
	योग	6499000	3571171	54.94
	महायोग	11383096	8312270	73.02

वर्षान्तर्गत ऋण वितरण

बैंक ने वर्ष 2015–16 के दौरान रू0 83122.70 लाख का ऋण वितरण किया। इस वर्ष एवं विगत वर्ष किये गये क्षेत्रवाद ऋण वितरण का विवरण निम्नलिखित है –(राशि हजारों में)

विवरण	2014–15				2015–16			
	लक्ष्य		प्राप्ति		लक्ष्य		प्राप्ति	
	खाते	राशि	खाते	राशि	खाते	राशि	खाते	राशि
कृषि नकद साख	34519	3597300	50849	2495533	50520	3120000	34113	2644902
कृषि सावधि ऋण	3593	1591200	3195	369858	2402	2531550	2351	210304
लघु उद्योग ऋण	3142	847061	1475	325219	1610	851017	1475	382127
एसबीएफसेवाएं एवं अन्य	11020	3784925	16066	4712809	12040	3491700	16066	5074937
योग	52274	9820426	71585	7903420	66572	9994267	54005	8312270
जिसमें से								
प्राथमिक क्षेत्र	48254	9116417	63195	5424681	51015	9121315	44096	5713708
कुल ऋण वितरण से				56.50				68.74
गैर प्राथमिकता क्षेत्र	4020	704009	8390	2478739	3010	714112	8397	2598562
कुल ऋण वितरण में				31.36				31.26
अनुजाति/जनजाति को ऋण			4933	443102			5134	461234
लघुसीमांत कृषकों/खेती हर मजदूरों को ऋण			57127	2865391			37112	2958470

सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं में वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने में बैंक निरन्तर भागीदार रहा है। सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में बैंक की प्रगति 2015–16 में निम्नांकित है –

(राशि हजारों में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	लक्ष्य	प्राप्ति	प्राप्ति प्रतिशत

		सं0	सं0	राशि	
1	एस जी एस वाई	301	291	21637	96.67
	रिवॉल्विंग फण्ड				
	मुख्य गतिविधि				
	एकल				
2	एस सी पी	89	91	2912	102.24
3	वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना	71	70	80266	98.59
4	पी एम ई जी पी	83	82	21556	98.79
5	सघन मिनी डेयरी		55	2011	
6	नवीन सरलीकृत आवास योजना	375	385	15380	102.66
7		135	0	0	0
		228	138	10669	60.52

वर्षान्तर्गत ऋण वितरण

बैंक ने वर्ष 2015–16 के दौरान रू0 83122.70 लाख का ऋण वितरण किया। इस वर्ष एवं विगत वर्ष किये गये क्षेत्रवार ऋण वितरण का वितरण निम्नलिखित है –

सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं में वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने में बैंक निरन्तर भागीदार रहा है। सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में बैंक की प्रगति 2015–16 में निम्नांकित है –

उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक की प्रगति का विवरण (वित्तीय वर्ष 2015–16)

उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक, उत्तराखण्ड के समस्त 13 जिलों में 286 शाखाओं के विस्तार के साथ बैकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है। मार्च 2016 के अन्त तक बैंक की प्रगति निम्नांकित है।

1. बैंक का जमा स्तर पिछले वित्तीय वर्ष 2014–15 में 3142.63 करोड़ से बढ़कर 3350 करोड़ हो गया है तथा ऋण स्तर 1753.27 करोड़ से बढ़कर 1945 करोड़ रहा है।
2. बैंक का समग्र व्यवसाय पिछले वित्तीय वर्ष से 4895. 89 करोड़ था जो इस वर्ष 5295 करोड़ रूपये हो गया है।
3. बैंक का ऋण जमा अनुपात मार्च 2015 में 55.79 प्रतिशत तथा मार्च 2016 में 58.08 प्रतिशत रहा है जो कि उत्तराखण्ड के औसत अनुपात से अधिक है।
4. बैंक ने उत्तराखण्ड राज्य के विकास के लिए 831.23 करोड़ रूपये के ऋण वितरित किये है।
5. बैंक में जोखिम को ध्यान में रखते हुये Business focused Audit के स्थान पर Risk Focused internal audit प्रारम्भ किया गया है।
6. प्रधानमंत्री जनधन योजना के अन्तर्गत कुल 147583 रूपे कार्ड बांटे जा चुके है।
7. प्रधानमंत्री जन धन योजना के अन्तर्गत कुल 213868 खाते मार्च 2016 तक खोले गये है, जिनमें 17.93 करोड़ जमा है।
8. 2.44 लाख खातों को आधार नं0 से लिंक किया गया है।
9. अन्य बैकों के समकक्ष आने एवं प्रतिस्पर्द्धा को मद्देनजर रखते हुए उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक द्वारा तकनीकीकरण के अन्तर्गत AEPS E-Kyc एवं KIOSK सुविधा प्रारम्भ कर दी है।
10. बचत खातों में 5000 रूप्ये की ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान की जा रही है।
11. पहल योजना लागू कर दी गई है इसके अन्तर्गत खाते LPG गैस सब्सिडी से लिंक किये गये है।
12. अल्ट्रा स्माल शाखाओं, वित्तीय जागरूकता केन्द्र एवं मोबाईल वैन के माध्यम से राज्य के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बैकिंग जागरूकता एवं बैकिंग सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. उत्तराखण्ड राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैक की कार्य प्रगति एवं नवीन प्रवृत्तियों का चित्र प्रस्तुत करना।
2. ग्रामीण शाख एवं प्रोत्साहन की दिशा में उत्तराखण्ड ग्रामीण की भूमिका का अध्ययन करना।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का मूल्यांकन।
4. बैंक की लाभदायकता, उपभोक्ता सेवा एवं ग्रामीण विकास में योगदान का अध्ययन करना।
5. बैंक की कार्य निष्पादन के कमजोर पक्षों को प्रकाश में लाना एवं भविष्य में सुधार हेतु आवश्यक सुझाव देना।

समस्याएँ

उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के कमजोर वर्गो को साख उपलब्ध कराने तथा आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस बैंक की शाखाओं ने ग्रामीण एवं अति पिछड़े क्षेत्रों में लघु एवं सीमांत किसानों कृषि श्रमिकों तथा लघु एवं कुटीर उद्यमियों को बैकिंग सुविधा प्रदान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। उनके विकास में भरपूर सहयोग किया है। इसके बावजूद यह बैंक उतनी अच्छी कार्य निष्पादकता प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है। जितनी इनसे आशा की जा रही है। इसके प्रमुख कारण निम्न है –

1. उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक में आपसी समन्वयक की समस्या प्रमुख है क्योंकि बहुत से बैकों की शाखाओं

में दूरी का अन्तर कॉफी कम है जिससे इन बैकों में अनावश्यक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो जाती है।

2. इस बैंक की अपनी कुछ सीमाएं है जिससे वह ग्राहको को व्यापारिक बैकों की भांति सेवाएं उपलब्ध नहीं कर पाते।
3. इस बैंक की शाखाओं में आज भी प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव है जिसके कारण बैंक की विभिन्न योजनाओं का लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है।
4. ये बैंक अधिकतर कमजोर वर्गो के ऋण देते है। ऋण के ब्याज दरों का कम होना तथा छोटे–छोटे ऋणों के रखरखाव पर अधिक लागत होने से कुछ शाखाऐं घाटे पर चले जाती है।
5. बैंक द्वारा अपने प्रायोजक बैंक के पास जो राशि जमा की जाती है। उस पर कम ब्याज दर प्राप्त होती है जबकि प्रायोजक बैंक उस पर अधिक ब्याज प्राप्त करते है।
6. इन बैंकों की भर्ती के समय स्थानीय निवासियों की नियुक्ति पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अधिकतर शहरी कर्मचारी नियुक्त हो जाते है जो ग्रामीण समस्याओं से अनजान होते है।
7. इन बैंकों की ग्रामीण शाखाओं के अन्तर्गत आधारभूत सुविधाओं का अभाव है।
8. गॉव के कमजोर लोगों ऋण मुहैया कराने पर कुछ अनुत्पादक ऋण भी स्वीकृत हो जाते जिसकी वसूली बैंक के लिए कठिन कार्य बन जाती है।
9. बैंक अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु ऋण एवं वसूली हेतु ऋण मेलों का आयोजन करते है। जिसमें समय के अभाव के कारण लाभार्थियों एवं योजनाओं का सही चयन नहीं हो पाता और गुणवत्ता ही न ऋण वितरित हो जाते है।
10. बैकिंग सुधारें के चलते अधिकांश शाखाओं में कम्प्यूटीकरण की सुविधा लागू कर दी गई है। ग्रामीण शाखाओं में दो तीन कर्मी ही नियुक्त किए गए है। अतः शाखा में कार्य की अधिकता के कारण नई –नई योजनाओं को समय पर क्रियान्वित नहीं कर पाते।

सुझाव

उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं लघु व कुटीर उद्योगों के विकास के लिए ऋण प्रदानकर एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहे है।

1. इनको बैकिंग व्यवस्था के साथ चलकर अपने यहॉ समय रहते आधुनिक मशीनों एवं इलैक्ट्रानिक सुविधाओं को लागू करना होगा।
2. अतिरिक्त मानव संसाधन का प्रयोग शाखाओं के विस्तार एवं ऋण वसूली हेतु किया जाना चाहिए।
3. बैकों को समय–समय पर अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान कर कार्य के प्रति अभिप्रेरित किया जाना चाहिए।
4. बैंक द्वारा प्रदान किये जाने वाली विभिन्न योजना का लाभ जरूरत मन्दों को दिया जाना चाहिए।
5. प्राप्त ऋण का उपयोग उसी कार्य में किया जाना चाहिए जिसके लिए वह लिया है।
6. समय पर ऋण चुकाने वाले ग्राहकों को प्रोत्साहित किया जाए और उन्हें समझाया जाना चाहिए कि समय पर ऋण अदा करने से उनकी छवि अच्छी बनती है।
7. शाखा परिसर में ग्राहकों के बैठने, हवा पानी की व्यवस्था, पर्याप्त मात्रा में फार्म एंव स्टेशनरी तथा कर्मचारियों द्वारा ग्राहकों का सम्मान किया जाना चाहिए।
8. कार्य की उत्कृष्टता के आधार पर कर्मचारियों की पदोन्नति, स्थनान्तरण एवं कार्य की तैनाती सुनिश्चित की जानी चाहिए तथा बैंक के लक्ष्यों के प्रति जागरूक बनाया जाना चाहिए।
9. ग्रामीणों को बैंक द्वारा ऋण योजनाओं की जानकारी पूर्ण नहीं मिल पाती है। अतः सरकारी ऋण योजनाओं को समाचार पत्रों, पत्रिकाओं के अलावा ग्रामीण सहकारी समितियों, ग्रामीण समहों तक स्थानीय भाषा में उन तक पहुंचाया जाए।
10. कमजोर एवं निर्धन वर्ग की सेवा में लगी साख संख्याएूं यदि स्वयं आर्थिक रूप से सशक्त एवं कार्य क्षमता वाली नहीं होगी तो वे अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पायेंगे। अतः इनकी अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष एवं उपसंहार

सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में उत्तराखण ग्रामीण बैंक की शाखाएं उपलब्ध होने से यहां के लोगों की भाग दौड़ कम हुई है। पहले ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को 30–40 किलोमीटर तक दूरी तय करके बैंक जाना पड़ता था जिससे उनको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। मगर आजकल गांवो के नजदीक ही बैंक खुलने से ग्रामीण जन बैकिंग सुविधाओं का लाभ ले रहे है। ऋण देने वाल संस्थाओं का विस्तार हुआ है। जिससे इन्हें आसानी से ऋण प्राप्त हो जाता है और अपने कार्यो को पूरा कर पाते है। गांवों के कुछ शिक्षित ग्रामीण तो बैंक से ऋण लेकर लघु एवं कुटीर उद्योग भी चला रहे है। जिससे कई युवाओं को रोजगार भी मिला है और उनके आर्थिक स्तर में भी सुधार आया है साथ ही पुराने ऋणियों को राहत भी मिली है।

उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक द्वारा सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को गांवों तक पहुंचाया जा रहा है। जिनमें प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री जनधन योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना में इस बैंक द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। नई तकनीकों का उपयोग कर ग्राहकों को बैकिंग सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है।

हमारी अर्थव्यवस्था का ढांचा एवं स्वरूप ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित है। इन बैंकों को आने वाले समय में सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी कार्यपणाली में और परिवर्तन करना होगा जबकि अन्य बैकों की भांति इन बैकों को भी स्वतंत्र निर्णय की छूट होनी चाहिए। आजकल बैकिंग क्षेत्र में अधिक प्रतियोगिता होने से माहौल और भी कड़ा हो गया है।

अतः बाजार में वही बैंक टिक पाएगा जो त्वरित गति से निर्णय लेगा तथा अपने ग्राहकों को अधिक से अधिक सेवाएं एवं उत्पाद कम लागत पर उपलब्ध कराएगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

पुस्तकें

1. *मिश्रा एवं पूरी : भारतीय अर्थव्यवस्था (2015) : हिमालया पब्लिसिंग हाउस मुम्बई।*
2. *दत्त रूद्र एवं सुन्दरम के0पी0एम0 : भारतीय अर्थव्यवस्था (2010) एस0 चन्द्र एण्ड कम्पनी लि0 रामनगर नई दिल्ली।*
3. *शर्मा एवं शर्मा : मुद्रा एवं बैकिंग (2004) : साहित्य भवन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा0लि0 आगरा*
4. *झिंगन एम0एल0 : विकास का अर्थशास्त्र एवं आयोजन (2004) वृंदा पब्लिकेशन्स प्रा0लि0 मयूर विहार दिल्ली।*
5. *सिंघई जी0सी0 एवं सिंह एस0के0: मुद्रा बैकिंग एवं राजस्व (1999) साहित्य भवन आगरा*
6. *खान आर ए : प्रयाग उत्तराखण्ड सामान्य ज्ञान (2016) अंकित प्रकाशन, हल्द्वानी।*
7. *बलोदी राजेन्द्र प्रसाद : उत्तराखण्ड समग्र ज्ञानकोश (2010) विनसर पब्लिशिंग कम्पनी, देहरादून।*

पत्रिकाएं एवं समाचार पत्र

1. *योजना नई दिल्ली 2000 व उसके पश्चात।*
2. *कुरूक्षेत्र नई दिल्ली मासिक*
3. *प्रतियोगिता दर्पण भारतीय अर्थव्यवस्था विशेषांक*
4. *उत्तराखण्ड एक दृष्टि में जागरण प्रकाशन कानपुर*
5. *उत्तराखण्ड विकास : वार्षिक प्रगति*
6. *अमर उजाला दैनिक*
7. *दैनिक जागरण (दैनिक)*
8. *हिन्दुस्ताान (दैनिक)*

रिपेटिस एवं जर्नल्स

1. *उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक की वार्षिक रिपोर्ट*
2. *स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की वार्षिक रिपोर्ट*
3. *वार्षिक ऋण योजना*
4. *रूरल इण्डिया*
5. *गंगोत्री, उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक*

बेबसाइट्स

1. *www uk.nic.in*
2. *www rural.nic.in*
3. *www uttarakhand gramin bank.com*
4. *www sbi.org.in*
5. *www uttara.in*